

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2020/2163

भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रति,

- 1/ संचालक(प्रशासन),
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल, म०प्र०।
- 2/ समस्त अपर संचालक
स्थानीय कार्यालय, म०प्र०।
- 3/ समस्त संयुक्त संचालक,
स्थानीय कार्यालय, म०प्र०।

विषय :— संचालनालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कार्यों के निराकरण हेतु विशेष मुहिम अंतर्गत प्रकरणों पर कार्यवाही।


संचालनालय अंतर्गत कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान किए जाने हेतु प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन एवं योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु समन्वय संबंधी कार्य निरंतर किया जा रहा है।

यह विषय संज्ञान में आया है कि संचालनालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी कतिपय प्रकरण लंबे समय से विलंबित हैं अथवा प्रकरणों के निराकरण में विलंब हो रहा है। सामान्यतः पेंशन प्रकरण/अवकाश स्वीकृति प्रकरण/वेतन भुगतान/समयमान वेतनमान/टी०ए०-डी०ए० भुगतान/न्यायालयीन प्रकरण/परिवीक्षा/लंबे समय से लंबित विभागीय जॉच/कार्य स्थल पर कठिनाईयों संबंधी प्रकरणों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत कार्यवाही में समय लगने के कारण, अधिकारियों/कर्मचारियों में असंतोष भी होने की संभावना है।

अतः निर्णय लिया गया है कि संचालनालय स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना संबंधी प्रकरणों में विशेष मुहिम के द्वारा शीघ्र निराकरण हेतु संचालक(प्रशासन) की अध्यक्षता में उक्त कार्य संपादित किया जावे। समस्त अपर संचालक/उप संचालक स्वयं संचालक(प्रशासन) के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण प्रस्तुत कर निराकरण करावेंगे।

उपरोक्त कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी प्रथमतः अपर संचालक(प्रशासन) को आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं प्रकरण के विषय अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की नस्ती तैयार की जावेगी अथवा पूर्व से प्रचलित नस्ती पर कार्यवाही कर अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत की जावेगी। अन्य शाखा/अधिकारी से प्रकरण में जानकारी प्राप्त की जाना हो तो कार्यालय स्थापना शाखा द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त कर शीघ्र प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा एवं संबंधित अपर संचालक/उप संचालक द्वारा प्रति मंगलवार प्रकरण संचालक, प्रशासन के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण का अंतिम निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

उक्त कार्यवाही माह दिसंबर 2020 से प्रारंभ की जावे।


(डॉ सजय गोयल)

स्वास्थ्य आयुक्त

म०प्र०


पृ० क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2020/2164

भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म०प्र०।
2. निज सचिव, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, म०प्र०।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत, जे०पी०चिकित्सालय परिसर, भोपाल,म०प्र०।
5. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि, भोपाल,म०प्र०।
6. उप संचालक(कार्यालय स्थापना) स्थानीय कार्यालय,म०प्र०।
7. समस्त उप संचालक, स्थानीय कार्यालय,भोपाल,म०प्र०।
8. समस्त अधीक्षक, समस्त शाखा, स्थानीय कार्यालय,म०प्र०।
9. अध्यक्ष, अधिकारी/कर्मचारी संगठन, स्थानीय कार्यालय,म०प्र०।
10. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ।
11. प्रभारी(एम०आई०एस०), स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म०प्र०।


स्वास्थ्य आयुक्त
म०प्र०